

**कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग
अधिसूचना**

क्रमांक 05/अ-82/2019-20

रायगढ़, दिनांक 28/04/2022

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की औद्योगिक प्रयोजनार्थ एनटीपीसी लारा हेतु छूटी हुई भूमि का निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

1. जिला - रायगढ़
2. तहसील - पुसौर
3. ग्राम/नगर - कांदागढ़
4. भूमि का क्षेत्रफल - 6.359 हे.

ख. नं.	रकबा (हे.मै)	ख. नं.	रकबा (हे.मै)	ख. नं.	रकबा (हे.मै)	ख. नं.	रकबा (हे. मै)
47/1	0.060	216/1ख	0.020	258/1च/1	0.260	47/1च/3क	0.080
216/1ग	0.020	258/1च/2	0.083	47/3क	0.202	216/1घ	0.020
258/1च/3	0.260	94/6	0.454	248/11क	0.116	258/2	0.070
99/3	0.210	258/10	0.070	258/3	0.405	103/3	0.109
258/11	0.070	258/4	0.202	156/1	2.700	258/12	0.069
258/7	0.469	216/1क	0.040	258/1ख	0.324	258/8क	0.046
योग कुल खसरा नं. 24 कुल रकबा 6.359 हे०							

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

पुर्नवास योजना का अवलोकन प्रसाशक/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

प्रतिहस्ताक्षर

अ.वि.अ. (रा.) एवं
भू-अर्जन अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

(मीम सिंह)

कलेक्टर

जिला रायगढ़

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग